खास खबरें

पैसों के विवाद में की अभद्रता और मारपीट

नप्र, भोपाल : छोला मंदिर थाना 7 धारा 296ए, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस 7 फरियादी: कृष्णाबाई, पत्नी संतोष अहिरवार, उम्र 50 वर्ष 7 आरोपी: प्रियंका, फूलवती राज, परसाल बल्ला, राकेश। गरीब नगर छोला में पैसों की बात को लेकर आरोपियों ने कृष्णाबाई के साथ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का आरोप है।

शादी का झांसा देकर गलत काम का आरोप

टीटीनगर थाना 7 धारा 69 बीएनएस 7 फरियादी: आरती अहिरवार, पुत्री हिश्रीलाल, उम्र 27 वर्ष 7 आरोपी: दीपक अहिरवार। तुलसीनगर निवासी आरती ने शिकायत में बताया कि आरोपी दीपक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने 1 अगस्त से 15 अगस्त 2026 के बीच हुई घटना के संबंध में धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।

13 वर्षीय किशोरी को अज्ञात व्यक्ति ले गया

कजलीखेड़ा थाना 7 धारा 137(2) बीएनएस 7 फरियादी: सीताबाई, पत्नी पिपदिया आदिवासी, उम्र 13 वर्ष 7 आरोपी: अज्ञात। नई बस्ती कजलीखेड़ा निवासी सीताबाई ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 13 वर्षीय बेटी, को कोई अज्ञात व्यक्ति बिना बताए अपने साथ ले गया। पुलिस ने शिकायत पर धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

मकान का ताला तोड़कर चोरी

कजलीखेड़ा थाना 7 धारा 305ए बीएनएस 7 फरियादी: दिवाकर चतुर्वेदी 7 आरोपी: अज्ञात। प्रियंका नगर स्थित मकान में अज्ञात आरोपी ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और सामान चोरी कर ले गया। दिवाकर चतुर्वेदी की शिकायत पर पुलिस ने धारा 305ए बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान का प्रयास कर रही है।

पार्किंग से बाइक चोरी

कोहेफिजा थाना 7 धारा 303(2) बीएनएस 7 फरियादी: मनुभावन/संबंधित शिकायतकर्ता पवन पंवार 7 आरोपी: अज्ञात। हनुमान टेकरी की पार्किंग से एमपी04 क्यूए3675 नंबर की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। शिकायत के अनुसार बाइक की कीमत करीब 20 हजार रुपये है। अज्ञात आरोपी वाहन चोरी कर ले गया। पुलिस ने धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर वाहन और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर

बागसेवनिया थाना 7 धारा 281 बीएनएस 7 फरियादी: रिपोर्ट में श्रीराम नाम दर्ज 7 आरोपी: कपूर सिंह मालवीय। बागसेवनिया चौराहे पर कार क्रमांक एमपी04 जेडसी0110 के चालक कपूर सिंह मालवीय ने वाहन तेज और लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी। पुलिस ने घटना के संबंध में धारा 281 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस दुर्घटना की परिस्थितियों और आरोपी चालक की भूमिका की जांच कर रही है।

तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर

चूनाभट्टी थाना 7 धारा 306, 281, 125ए बीएनएस 7 फरियादी: साक्षी सोनी, पुत्री संजय कुमार, उम्र 21 वर्ष 7 आरोपी: कार चालक उवेश कुमार। टावरटाउन के सामने चौराहे पर कार क्रमांक एमपी04 ईडी3843 के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारी। पुलिस ने साक्षी सोनी की शिकायत पर संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़ा

टीला जमालपुरा थाना 7 धारा 36 आबकारी अधिनियम 7 फरियादी: शासन 7 आरोपी: धर्मेंद्र राठौर। पुलिस ने टीला जमालपुरा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए धर्मेंद्र राठौर को पकड़ा। मामले में शासन की ओर से कार्रवाई करते हुए आबकारी अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन के मामले में वैधानिक कार्रवाई की है।

बुधवार को राज्यपाल मंगुभाई पटेल से जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने लोकभवन में सौजन्य भेंट की।

बिना अनुमति विकसित हो रहीं तीन अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शहर में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने बिना सक्षम अनुमति विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों के निर्माणों को ध्वस्त किया। इनमें दो कॉलोनियां ग्राम गौरा और एक ग्राम बरखेड़ी कला में विकसित की जा रही थी।

नगर निगम के अनुसार इन कॉलोनियों के विकास के लिए बिल्डरों ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृति और नगर निगम से आवश्यक विकास अनुमति प्राप्त नहीं की थी। कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारियों के साथ जिला पुलिस बल भी मौजूद रहा।

निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर जोन क्रमांक 21 के अंतर्गत ग्राम गौरा में दो अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। इनमें खसरा क्रमांक 205/2, 205/2/1, 205/2/2 और 249/1/2/2 की जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माणों को हटाया गया। इसके अलावा ग्राम बरखेड़ी कला में खसरा क्रमांक 10/2/1 और 10/2/2 की भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माणों को भी तोड़ा गया। नगर निगम के अनुसार इन कॉलोनियों को मनोज मारण, देवेंद्र साधू और राजेश तृतलानी (मैसर्स कोणार्क बिल्डर) द्वारा विकसित किया जा रहा था।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना अनुमति कॉलोनी विकास, अवैध निर्माण और अतिक्रमण जैसी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

पुरस्कारों के साथ चोसव 2026 का समापन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर ललित कला दीर्घा, रवींद्र भवन में आयोजित तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी 'चोसव 2026' का बुधवार को समापन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि कमलेश जैमनी, राकेश जैमनी, रज़ा मावल, आरा मावल, सफा मावल और अनुराग बे उपस्थित रहे। विशेष अतिथि डॉ. या भावेचावर भी शामिल हुए।

समारोह में स्वर्गीय एसके मावल स्मृति पुरस्कार की घोषणा की गई। चार श्रेणियों में चंद्र प्रकाश सिंह राजपूत (वाराणसी), सौरभ बे (देवास), जय पाठक (भोपाल) और टेनसन जेरोम (केरल) को सम्मानित किया गया। प्रदर्शनी के दौरान दर्शकों के ऑफलाइन मतदान से मयंक कुशवाह को 'चोसव फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2026' चुना गया।

समापन दिवस पर 18वीं शताब्दी के विंटेज कैमरों की प्रदर्शनी और डाग्यूरोटाइपिंग तकनीक का जीवंत प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहा। संस्थापक एवं क्यूरेटर वर्णन नामदेव ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी सहयोगियों का आभार जताया।

सीनियर सिटीजन कार्ड के नाम पर 1.28 लाख की ठगी

नप्र, भोपाल : चूनाभट्टी थाना धारा 305, 318(4), 319(2) बीएनएस फरियादी: वीरेंद्र सिंह खमेसरा, पिता स्व. मोती सिंह, उम्र 86 वर्ष आरोपी: अज्ञात। आरोपी ने फेसबुक के जरिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने का लिंक भेजा। लिंक के माध्यम से शिकायतकर्ता के खाते से 1,28,078 रुपये निकाल लिए गए। पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है और साइबर ठगी के आरोपी की पहचान के लिए तकनीकी जांच शुरू की है।

तालाब में डूबने से युवक की मौत : श्यामला हिल्स थाना धारा 194 बीएनएसएस फरियादी, सूचनाकर्ता पुलिस मृतक: नितिन यादव, पिता बाबूलाल, उम्र 35 वर्ष आरोपी: नहीं। छोटा तालाब क्षेत्र में नितिन यादव की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। मामले में धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम किया गया है।

सेंट्रल जेल में 101 कैदी मानसिक बीमारी से पीड़ित, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ा दबाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल सेंट्रल जेल में बंदियों की बढ़ती संख्या और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कैदियों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। 15 अगस्त 2026 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जेल में 101 बंदी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। इसके अलावा कई बंदी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, अस्थमा, मिर्गी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे हैं।

भोपाल सेंट्रल जेल की निर्धारित क्षमता 2631 बंदियों की है, जबकि वर्तमान में यहां 3669 बंदी निरुद्ध हैं। इनमें 3484 पुरुष और 185 महिलाएं शामिल हैं। इस तरह जेल में क्षमता से 1038 अधिक बंदी मौजूद हैं, जिससे आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

जेल में मानसिक रोग से पीड़ित 101 बंदियों की संख्या विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। विशेषज्ञों के अनुसार जेल का वातावरण, परिवार से दूरी, लंबित मुकदमे, भविष्य की चिंता और भीड़भाड़ जैसी परिस्थितियां बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में नियमित काउंसलिंग, चिकित्सकीय निगरानी और विशेषज्ञ उपचार की जरूरत बढ़ जाती है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड के अनुसार जेल में 111 बंदी हाई ब्लड प्रेशर, 67 डायबिटीज, 28 हृदय रोग, 23 अस्थमा, 22 मिर्गी और 13 कैंसर से पीड़ित हैं। इसके अलावा 47 बंदी एचआईवी पॉजिटिव, 7 हेपेटाइटिस और 2 बंदी कुष्ठ रोग से पीड़ित दर्ज किए गए हैं। जेल में 1786 सजायाफ्ता और 1729 विचाराधीन बंदी हैं। स्वतंत्रता दिवस पर विशेष सजा माफी नीति के तहत 14 उम्रकैदियों को समय पूर्व रिहा किया गया था, इसके बाद भी बंदियों की संख्या अधिक बनी हुई है।क्षमता से करीब 39 प्रतिशत अधिक बंदियों की मौजूदगी जेल प्रशासन के सामने चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जेलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ मजबूत करने की आवश्यकता है।

नर्सिंग छात्रों ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास घेरने पहुंचे

पुलिस ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर रोका, लिखित आश्वासन की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नर्सिंग छात्र-छात्राओं ने बुधवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पॉलिटेक्निक चौराहे पर रोक दिया।

छात्र मुख्यमंत्री आवास जाने की मांग पर अड़े रहे, जबकि पुलिस उन्हें वहां से हटने के लिए कहती रही। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और न्यायिक प्रक्रिया के कारण उनका भविष्य करीब छह वर्षों से प्रभावित है। समय पर परीक्षाएं नहीं होने, डिग्री और पंजीयन क्रमांक जारी नहीं होने तथा छात्रवृत्ति में देरी से विद्यार्थी परेशान हैं। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के छात्रों ने कहा कि कॉलेजों की मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया की जिम्मेदारी विद्यार्थियों की नहीं है। यदि किसी कॉलेज को गलत तरीके से मान्यता दी गई है तो इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन की तय होनी चाहिए। छात्रों ने सभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं जल्द कराने, वर्ष 2020-21 बैच को दिसंबर 2026 तक डिग्री और पंजीयन क्रमांक देने, छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं का समाधान करने तथा नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़ी अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही आंदोलन समाप्त करने पर विचार करेंगे।

सीने में दर्द के बाद युवक की मौत

भोपाल। टीटीनगर थाना धारा 194 बीएनएसएस फरियादी/सूचनाकर्ता डॉ. सक्सेना आरोपी: नहीं। 20 वर्षीय हिया यादव, पत्नी निशांत पटेल, को सीने में दर्द होने पर जेपी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसे मृत पाया। अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस ने धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम किया।

नाले के पास मिला अज्ञात व्यक्ति का शवः अशोका गार्डन थाना धारा 194 बीएनएसएस फरियादी/सूचनाकताः पुलिस, एएसआई पुनीत आरोपी: नहीं। प्रभात पेट्रोल पंप के पास नाले के समीप करीब 40 वर्षीय अज्ञात पुरुष मृत अवस्था में मिला।

एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में साइबर सुरक्षा संवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः एलएनसीटी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज द्वारा साइबर सुरक्षा संवाद का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि मप्र राज्य साइबर पुलिस के आईजी निरंजन वायंगणकर एवं आमंत्रित अतिथि अरविंद दांगी और प्रियंका जैन ने साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए। अध्यक्षता प्रो. डॉ. मुकेश कुमार साहू ने की। विशेषज्ञों ने आईटी एक्ट-2000, फिशिंग, सोशल मीडिया हैकिंग और ऑनलाइन वित्तीय ठगी की जानकारी दी। मजबूत पासवर्ड, टू-स्टेप वेरिफिकेशन और संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी गई। साइबर अपराध की स्थिति में हेल्पलाइन 1930 और साइबर पोर्टल पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में डॉ. अजीत कुमार सोनी सहित शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

सिंधी 'पापड़ डे' का आयोजन बच्चों ने बांधा समां

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः स्वतंत्रता दिवस पर विश्व सिंधु सेवा संगम यूथ विंग्स द्वारा सिंधी मासिक व्यंजन परंपरा के तहत 'पापड़ डे' मनाया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता पूनम नरयानी ने की। उन्होंने बच्चों को स्वतंत्रता का महत्व समझाया और देश के अमर बलिदानियों के योगदान पर प्रकाश डाला।

इस दौरान देशभक्ति के गीतों, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जोशीले नारों से पूरा वातावरण देशप्रेम के रंग में रंग गया। बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को विभिन्न प्रकार के रंग-बिरंगे पापड़, लड्डू और पुरस्कार वितरित किए गए।

ड्रग्स तस्करी पर शिकंजा, आरोपी को छह माह के लिए निरुद्ध करने का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल संभाग में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने बैरागढ़ निवासी दौलतराम केसवानी उर्फ बद्दी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे छह माह के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है।

पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस भोपाल की ओर से मादक पदार्थों की अवैध तस्करी रोकने के लिए पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3(1) के तहत निरोध प्रस्ताव संभागायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव पर विचार करने के बाद संभागायुक्त ने आरोपी को केंद्रीय जेल, इंदौर में छह माह के लिए निरुद्ध रखने के निर्देश दिए। संभागायुक्त शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भोपाल संभाग में मादक पदार्थों की बिक्री, तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखा जाए। उन्होंने ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। यह कार्रवाई भोपाल संभाग आयुक्त कार्यालय की ओर से 19 अगस्त को साझा की गई जानकारी के आधार पर की गई है। इससे पहले भी जुलाई 2026 में पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत अन्य आरोपियों के खिलाफ छह-छह माह के निरोध आदेश जारी किए गए थे। पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम 1988 एक निवारक निरोध कानून है, जिसके तहत मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त लोगों को भविष्य में ऐसी गतिविधियों से रोकने के उद्देश्य से निरुद्ध किया जा सकता है।

यह कार्रवाई सामान्य आपराधिक मामले में दी गई सजा नहीं है, बल्कि निवारक निरोध का आदेश है। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण लगाना और समाज को इसके दुष्प्रभावों से बचाना है।

शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र तनाव प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन पर बल

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः मिठी गोबिंदराम पब्लिक स्कूल शिक्षकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता आदित्य बिरला ग्रुप के 'एमपावर' और आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट से संबद्ध निखिल मिश्रा थे। मिश्रा ने मानसिक स्वास्थ्य के तीन मुख्य स्तंभों—विचार, भावनाएं और व्यवहार—पर विस्तार से प्रकाश डाला।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह स्वयं को पहचानने, असफलताओं से सीखने और तनाव प्रबंधन की क्षमता से जुड़ा है। सत्र में सकारात्मक व नकारात्मक तनाव, क्रोध प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन और 'इमोशनल मल्टीटास्किंग' जैसे विषयों को व्यावहारिक उदाहरणों से समझाया गया। उन्होंने शिक्षकों को तनाव के शुरुआती संकेतों को पहचानने और कठिन परिस्थितियों में संतुलित प्रतिक्रिया देने की प्रेरणा दी।

प्रशासनिक विचार और सत्र का संदेश

विद्यालय की प्राचार्या रेखा केवलानी ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य आधुनिक शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा है और ऐसे आयोजन शिक्षकों को मानसिक रूप से सशक्त कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मददगार बनते हैं। उपप्राचार्या दिव्या कृपलानी ने इसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता का आधार मानते हुए कहा कि ऐसे सत्र तनाव नियंत्रण और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देते हैं।

साईं आसनलाल साहिबजी की 48वीं बरसी मनी

हिरदाराम नगर। ठकुर आसनलाल धर्मशाला बी वार्ड में भगवान झूलेलाल जी के 24वें वंशज सूर्यवंशी ठकुर साईं आसनलाल साहिब जी की 48वीं वारसी मंगलवार को मनाई गई। पूज्य सिंधी पंचायत के उपाध्यक्ष भारत असवानी जी ने बताया कि इस मौके पर श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूज्य बहिराणा साहिब एवं साईं जी की पूजा-अर्चना कर उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित किए। इस दौरान कन्या पूजन व कन्या भोज के साथ विशाल आम भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। उपस्थित समाजजनों ने साईं जी के बताए भक्ति, प्रेम और मानव सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

नाम परिवर्तन सूचना

मेरा पूर्व में नाम शाहीन अंसार (SHAHIN ANSAR) था जो कि मेरे पूर्व पासपोर्ट पर अंकित है, अब वर्तमान में मेरा नाम/ स्पेलिंग बदलकर सही नाम शाहीन अंसार (SHAHEEN ANSAR) पत्नी मोहम्मद अंसार (MOHAMMAD ANSAR) निवासी मकान नं.13, कुम्हारपुरा शाहजहानाबाद भोपाल 462001 (मध्य प्रदेश) हो गया है जो मेरे आधार एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए।

1351

नाम परिवर्तन सूचना

मैं दीपक गुप्ता आ. श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता निवासी-6 महावीर मार्ग, वार्ड नं.-15, खातेगांव देवास, म.प्र. 1. मेरे पुत्र का सही नाम प्रदुम्न गुप्ता (Pradumn Gupta) है जो कि उसके आधार कार्ड में दर्ज है। 2. मेरे पुत्र के माध्यमिक विद्यालय परीक्षा 2025 की मार्कशीट में त्रुटिवश उसका नाम प्रदुम्न गुप्ता के स्थान पर पुदम्न परनामी अंकित हो गया है जो कि गलत है। जबकि मेरे पुत्र का सही एवं सत्य नाम प्रदुम्न गुप्ता (Pradumn Gupta) है। अतः अब मैं प्रदुम्न गुप्ता के नाम से ही जाना पहचाना जाता हूँ।

नया नाम :- प्रदुम्न गुप्ता
पुराना नाम :- प्रदुम्न परनामी

1350